न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/86

1. मोहम्मद जाहिद आयु 38 वर्ष पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुलसमान निवासी होली को खूंट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी ।
2. अब्दुल गनी 35 वर्ष वलद महरूम नजर मोहम्मद जाति मुलसमान निवासी होली को खूंट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी ।
3. कमरूनिशा आयु 40 वर्ष पुत्री नजर मोहम्मद पत्नी इस्माईल जाति मुलसमान निवासी सुकेत हाल निवासी पावडहेडा सवाईमाधोपुर ।
4. खैरून्निसा 43 वर्ष पुत्री नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी होली को खूंट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी ।
5. जरीना 32 वर्ष पुत्री नजर मोहम्मद पत्नी फरियाद जाति मुसलमान निवासिया सुकेत हाल निवास सुरवालू सवाईमाधोपुर ।
6. सितारा बेगम आयु 60 वर्ष बेवा नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी होली को खूंट सुकेत तसहील रामगंजमण्डी ।
7. अकबर गौरी 65 वर्ष वल्द नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुकेत हाल निवासी बस स्टेण्ड टाकीज के पास वार्डन 20 नैनवा जिला बून्दी ।
8. गफूरन आयु 50 वर्ष वल्द नूरमोहम्मद नजर जाति मुसलमान निवासी सुकेत हाल निवासी बस स्टेण्ड टाकीज के पास वार्डन 20 नैनवा जिला बून्दी ।
9. हकीमन आयु 55 वर्ष पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी नूरदीन जाति मुसलमान निवासी सुकेत हाल निवासी कब्रिस्तान के पास सवाईमाधोपुर ।
10. रजिया आयु 45 वर्ष पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी होली खूंट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. मेहरून 40 वर्ष पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी सुलेमान जाति मुसलमान निवासी होली खूंट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लतीफन आयु 55 वर्ष पत्नी श्री वली मोहम्मद उर्फ लाल पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटी मस्जिद के पास तेलघर कोटा जंक्शन कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहन लाल राव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी में आराजी खसरा नम्बर 61 की रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 64 की रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/857 की रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा योग 03 किता की कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 के शामलाती रूप से हिस्सा 1/7 तथा वादिनी एवं प्रतिवादिनीगण क्रम 7 से 11 के शामलाती रूप से हिस्सा 6/7 से खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है जो पूर्व में वादिनी तथा प्रतिवादीगण क्रम 7 से 11 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 5 के दादाजी तथा प्रतिवादिनी क्रम 6 के ससुर नूर मोहम्मद के खातेदारी में दर्ज थी । नूरमोहम्मद के देहान्त होने के बाद उक्त आराजी विरासत में जरिये इंतकाल संख्या 1597 से पक्षराकारान के खातेदारी में दर्ज हो गई है जिसमें वादिनी का हिस्सा 1/7 है । पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी के खाते का एवं मौके पर विभाजन कर वादिनी के 1/7 हिस्से की आराजी को पृथक से वादिनी के खाते दर्ज किया जावे तथा लगान राज भी पृथक से मुकर्रर किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2014 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.03.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि की अनदेखी की है । मुस्लिम विधि में मृतक के प्रत्येक वारिसान को गणित के अनुसार सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त स्वतः ही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में 1/7 हिस्से का विभाजन करवाकर अपने नाम पृथक खाते दर्ज करवाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उसके पिता की वसीयत दिनांक 03.12.99 की जानकारी उसे होने की बात स्वीकार की है जिस पर सभी वारिसान की सहमति भी स्वीकार की । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 यदि वसीयत से असहमत थी तो वसीयत को अवधि मध्य सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकती थी । मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक की जायदाद में पुत्री मात्र 1/10 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है और पुत्र 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि की अनदेखी की है । मुस्लिम विधि में मृतक के प्रत्येक वारिसान को गणित के अनुसार सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त स्वतः ही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में 1/7 हिस्से का विभाजन करवाकर अपने नाम पृथक खाते दर्ज करवाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट कम 1 उसके पिता की वसीयत दिनांक 03.12.99 की जानकारी उसे होने की बात स्वीकार की है जिस पर सभी वारिसान की सहमति भी स्वीकार की । रेस्पोडेन्ट कम 1 यदि वसीयत से असहमत थी तो वसीयत को अवधि मध्य सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकती थी । वसीयकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत को चुनौती देने से एस्टोप्ड है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि के इस कानून पर ध्यान नहीं दिया है कि मृतक की जायदाद में पुत्री मात्र 1/10 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है और पुत्र 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं । इंतकाल मुस्लिम विधि के विपरीत तस्दीक किया गया है । अधीनस्थ न्यायलाय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी प्रदर्श कराये बिना ही पुरानी जमाबन्दी के बीघा विस्वा के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जबकि वर्तमान में सम्पूर्ण आराजियात हैक्टर में अंकित है । इसलिए विभाजन की डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी नूर मोहम्मद से पक्षकारान के खाते में आई है । वादिनी का इसमें 1/7 हिस्सा निहित है । वादिनी ने अपने 1/7 हिस्सा पृथक से दर्ज कराने के लिए दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2014 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/7 हिस्सा बताते हुए विभाजन के लिए दावा पेश किया है । पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 नया खाता संख्या 167 के अनुसार नूर मोहम्मद वल्द जुम्मा खॉ कौम मुसलमान के नाम कुल 03 किता की 37 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 1597 दिनांक 20.01.2009 से मृतक नूर मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद जाहिद अब्दुलगनी पुत्र नूर मोहम्मद, कमरूनिशा, खेरूनिशा, जरीना पुत्रियॉ सितारा बेगम बेवा नूर मोहम्मद हिस्सा 1/7 बाट बराबर अकबर गौरी गफूरान पुत्रान हकीमन लतीफन रजिया मेहरून पुत्रियॉ नूर मोहम्मद हिस्सा 6/7 बांट बराबर दर्ज हुआ का नोट अंकित है ।

11. पत्रावली में वादिनी के बयान कराए गये हैं । पत्रावली में कुछ शपथ पत्र प्रतिवादीगण के संलग्न है परन्तु उन शपथपत्रों की ताईद करने व पेश उक्त दस्तावेज को प्रदर्श करने पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । ऐसी स्थिति में इनको प्रतिवादी के बयानों के रूप में नहीं पढा जा सकता । नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नूर मोहम्मद के खाते से पक्षकारान के खाते में आई है और नूर मोहम्मद के समस्त वारिसान जिसमें से प्रतिवादी कम 1 लागायत 6 उनके पुत्र नजर मोहम्मद उनके वारिस हैं । प्रतिवादी कम 7 और 8 उनके पुत्र हैं । प्रतिवादी कम 09 एवं 10, 11 और वादिनी उनकी पुत्रियॉ हैं, सबका हिस्सा संभाग से दर्ज किया गया है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्रों और पुत्रियों का हिस्सा पिता की सम्पत्ति में संभाग से निहित नहीं होता है । इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मुस्लिम विधि से तय किया जाना अनिवार्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि के अनुसार स्वत्व एवं अधिकार तय नहीं किये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर एक वसीयतनामे की फोटो प्रति प्रदर्श– ए–7 और एक तहरीर की फोटो प्रति द्वारा चन्दा वल्द औंकार प्रदर्श– ए–2 के रूप में संलग्न हैं । ये दस्तावेज फोटो प्रतियॉ हैं, प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं और इन दस्तावेजात को प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये शपथ पत्रों की ताईद करते हुए प्रदर्श भी नहीं करवाए हैं जो सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादीगण के द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनको प्रदर्श करवाया जावे । प्रतिवादीगण के द्वारा जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उनकी ताईद उनसे न्यायालय में करवाई जावे तभी उनको साक्ष्य में पढा जा सकेगा । साक्ष्य से दूसरे पक्ष से जिरह करने का अवसर दिया जावे । पेश किये गये दस्तावेजात असल अथवा प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की जावें व उन्हें प्रदर्श करवाया जावे । पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व नये सिरे से मुस्लिम विधि के परिप्रेक्ष्य में तय किये जावें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा